

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2014 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 11.03.2014

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

श्री दीपक उर्फ सूरज उर्फ बांदरी पिता श्री राजूसिंह उर्फ राजकुमार सिंह दरोगा निवासी कच्ची बस्ती गांधीनगर चित्तौड़गढ़ हाल किरायेदार शंकर शर्मा का मकान रेल्वे स्टेशन चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़

-गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

उपस्थिति : 1- अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2-श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता गैरसायल



निर्णय

दिनांक 24.07.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल कच्ची बस्ती गांधीनगर हाल किरायेदार शंकर शर्मा का मकान रेल्वे स्टेशन चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है। दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया जाकर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह, राठौड़ द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन-समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में श्री भैरूलाल बैरवा सेवानिवृत्त ए.एस. आई. निवासी धमाणा, श्री मनोहरसिंह हाल उप निरीक्षक अरनोद, श्री महेन्द्रसिंह हाल उप निरीक्षक वल्लभनगर, श्री शुभनारायण पाण्डे हाल ए. एस. आई. चंदेरिया एवं श्री धनराज गुर्जर हाल ए. एस. आई. कनेरा के बयान कराये।

अधिवक्ता गैरसायल ने गैरसायल की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक 12 प्रकरण दर्ज हुए हैं:-

1-	प्र.सं. 220/10	धारा 307, 341, 323/34 भादस.	2-	प्र.सं. 110/11	धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
3-	प्र.सं. 113/11	धारा 452,327,341, 323/34 भादस.	4-	प्र.सं. 139/11	4/25 आर्म्स एक्ट
5-	प्र.सं. 215/11	13 आरपीजीओ एक्ट	6-	प्र.सं. 106/12	4/25 आर्म्स एक्ट
7-	प्र.सं. 177/12	13 आरपीजीओ एक्ट	8-	प्र.सं. 195/12	धारा 147,341,323, 325,307 भादस.
9-	प्र.सं. 378/12	13 आरपीजीओ एक्ट	10-	प्र.सं. 63/13	धारा4/25 आर्म्स एक्ट
11-	प्र.सं. 268/13	धारा4/25 आर्म्स एक्ट	12-	प्र.सं. 35/14	13 आरपीजीओ एक्ट

गैरसायल को 12 में से 5 प्रकरणों में सजा हुई है। उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाहान ने भी अपने बयानों में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नहीं देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए जिले से निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।



गैरसायल के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि पुलिस ने गैरसायल को झूठा फंसाकर उसके विरुद्ध अनावश्यक मुकदमें प्रस्तुत किये हैं। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों में से 05 प्रकरणों में गैरसायल को सजा हुई है उक्त 05 ही प्रकरणों में गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वयं जुर्म स्वीकार किया। वर्ष 2014 के बाद उसके विरुद्ध किसी भी धारा के अपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। गैरसायल गरीब व्यक्ति होकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का बड़ी मेहनत से शान्तिपूर्वक भरण पोषण कर रहा है। मोहल्ले में कभी कोई शान्ति भंग नहीं की है, जिससे मोहल्ले में विपरीत प्रभाव पड़ता हो। गैरसायल के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। गैरसायल के माता-पिता वृद्ध होकर उनकी सेवा करने वाला उसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरुद्ध वर्ष 2010 से 2014 के बीच कुल 12 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें से 4 आर.पी.जी.ओ. एक्ट एवं 01 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में गैरसायल को सजा हुई है तथा लम्बित 07 प्रकरणों के संबंध में गैरसायल को सजा होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। वर्ष 2014 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है तथा इसके बाद गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत होना एवं उनके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना भी नहीं पाया गया।

अतः गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार के कृत्य नहीं करने की चेतावनी देते हुए, उसके वृद्ध माता-पिता एवं परिवार की परिस्थितियों को मध्यनजर रख, सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत गैरसायल को गुण्डा घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत इस्तागासा खारिज किया जाता है।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(इन्द्रजीत सिंह)